# नकद हस्तांतरण का हिसाब: योजना शुरू करने से पहले 'सोशल DPR' क्यों?

प्रकाशन: 27 नवंबर 2026

समाचार: 27 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 27 नवंबर 2026

**समाचार संदर्भ:** मीडिया में छपे एक विश्लेषण में यह विचार रखा गया है कि राज्यों की नकद हस्तांतरण जैसी बड़ी सामाजिक योजनाएँ शुरू करने से पहले उनका लिखित पूर्व-मूल्यांकन ('सोशल DPR') हो। यह एक सुझाया गया विचार है, कानून या सरकार की अनिवार्य घोषणा नहीं। इसी बीच राज्यों की सब्सिडी और नकद हस्तांतरण पर खर्च के आँकड़े तेज़ी से बढ़े हैं।[1][2]

**परीक्षा संदर्भ:** राज्यों की राजकोषीय स्थिति, सब्सिडी की दिशा और कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन UPSC/State PCS मेंस के शासन और अर्थव्यवस्था वाले प्रश्नों का नियमित क्षेत्र है।

**सामान्य अध्ययन (GS-II):** सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, उनकी कमियाँ और मूल्यांकन; शासन में जवाबदेही
**सामान्य अध्ययन (GS-III):** राजकोषीय नीति, सब्सिडी, राज्यों के वित्त, समावेशी विकास
**प्रिलिम्स:** राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, FRBM, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), अवसर लागत, लक्ष्यीकरण त्रुटि



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

## खबरों में क्यों

राज्य सरकारें अब बड़ी संख्या में परिवारों के खाते में सीधे पैसे भेज रही हैं, खासकर महिलाओं को। RBI के आँकड़ों में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कुल सब्सिडी 2018-19 में 1,87,432.8 करोड़ रुपये थी और 2025-26 के बजट अनुमान में 4,26,115.1 करोड़ रुपये है।[1] इसी दौर में सुझाव आया है कि योजना की घोषणा से पहले उसका 'सोशल DPR' बने, यानी खर्च, लाभार्थी और नतीजों की जाँच का लिखित ढाँचा पहले तैयार हो।

## परिचय

नकद हस्तांतरण का मतलब है सरकार का सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पैसा भेजना, आम तौर पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के रास्ते। सवाल यह नहीं है कि ऐसी मदद गलत है या सही। असली सवाल यह है कि योजना शुरू करने से पहले क्या यह साफ़ है कि पैसा किसे मिलेगा, कितना खर्च होगा, उसके बदले क्या छोड़ना पड़ेगा और आगे के वर्षों में नतीजे कैसे परखे जाएँगे। 'सोशल DPR' का विचार इसी खाली जगह को भरने की कोशिश है।

**मूल बातें: चार शब्द जो इस विषय में बार-बार आएँगे**

| शब्द | सरल अर्थ | इस विषय में क्यों मायने रखता है |
|---|---|---|
| **पूर्व-मूल्यांकन (Ex-ante evaluation)** | योजना लागू होने से पहले उसके खर्च, लाभ, जोखिम और विकल्पों की जाँच | गलत डिज़ाइन की कीमत लाखों परिवारों और बजट पर पड़ने से पहले पकड़ में आ सकती है |
| **लक्ष्यीकरण त्रुटि (Targeting error)** | ज़रूरतमंद का छूट जाना (बहिष्करण त्रुटि) या ज़रूरतमंद न होने वाले को लाभ मिल जाना (समावेशन त्रुटि) | आय-सीमा, उम्र और अन्य शर्तें सही न हों तो पैसा गलत हाथों में या गलत जगह जाता है |
| **अवसर लागत (Opportunity cost)** | एक काम पर खर्च करने से जिस दूसरे सबसे अच्छे काम का पैसा नहीं बचता, उसका मूल्य | वही रुपया सड़क, स्कूल या अस्पताल पर भी लग सकता था |
| **राजकोषीय संधारणीयता (Fiscal sustainability)** | सरकार का इतना खर्च और उधार, जिसे वह बिना कर्ज़ के बोझ से दबे लंबे समय तक चला सके | स्थायी वादे घटती आय के समय भी निभाने पड़ते हैं |

## मुख्य भाग

### आँकड़े क्या बताते हैं

RBI की 'राज्य वित्त: 2025-26 के बजटों का अध्ययन' के सारणी-36 (सब्सिडी) में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कुल सब्सिडी इस प्रकार दर्ज है:[1]

| वर्ष | सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (करोड़ रुपये) |
|---|---|
| 2018-19 | 1,87,432.8 |
| 2021-22 | 3,11,348.8 |
| 2022-23 | 3,53,225.2 |
| 2025-26 (बजट अनुमान) | 4,26,115.1 |

सारणी में दर्ज कुल योग 2018-19 से 2025-26 के बजट अनुमान तक लगभग 2.3 गुना हुआ; राज्यों का कवरेज हर वर्ष समान नहीं है (जैसे महाराष्ट्र का 2025-26 का आँकड़ा उपलब्ध नहीं), इसलिए यह पूरी तरह तुलनीय वृद्धि नहीं है। दो सावधानियाँ ज़रूरी हैं। पहली, इस सारणी में कुछ राज्यों के कुछ वर्षों के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए बीच के वर्षों की सीधी तुलना में सावधानी चाहिए। दूसरी, यह सारणी सभी प्रकार की सब्सिडी का योग है, केवल नकद हस्तांतरण का नहीं।[1]

### महिलाओं के नकद हस्तांतरण: PRS का आकलन

शोध संस्था PRS Legislative Research की 'State of State Finances' रिपोर्ट (अक्टूबर 2025) के अनुसार लगभग बिना शर्त नकद हस्तांतरण योजनाओं (आय-सीमा, उम्र जैसी कुछ शर्तों के साथ) की संख्या 2022-23 में दो राज्यों से बढ़कर 2025-26 में 12 राज्यों तक पहुँची। इन 12 राज्यों ने 2025-26 के बजट में मिलाकर 1,68,040 करोड़ रुपये का अनुमान रखा, जो PRS के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत है। इन 12 में से 6 राज्यों में उसी वर्ष राजस्व घाटा अनुमानित था। घाटे के अन्य कारण भी होते हैं, इसलिए इसे केवल नकद योजनाओं का नतीजा नहीं माना जा सकता।[2]

PRS के अनुसार, अन्य बातें समान रहने पर, इन योजनाओं के खर्च के कारण कर्नाटक का राजस्व संतुलन सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 0.3 प्रतिशत के अधिशेष से 0.6 प्रतिशत के घाटे में चला जाता है, और मध्य प्रदेश का अधिशेष 1.1 प्रतिशत से घटकर मामूली 0.4 प्रतिशत रह जाता है।[2]

**ध्यान रखें:** RBI की कुल सब्सिडी और PRS का 1,68,040 करोड़ रुपये, दोनों का दायरा अलग है। पहला हर तरह की सब्सिडी और सभी राज्य-केंद्रशासित प्रदेश गिनता है, दूसरा केवल 12 राज्यों की महिलाओं के लिए नकद योजनाएँ। इन्हें आपस में जोड़ना या एक ही कवरेज मानना गलत होगा।

### बोझ क्यों मायने रखता है: राजस्व घाटा और उधार

राजस्व घाटा तब बनता है जब राज्य का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा हो, यानी रोज़ के खर्च के लिए भी उधार लेना पड़े। PRS के अनुसार 2023-24 में राज्यों का राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 0.4 प्रतिशत था, और राज्यों का कुल बकाया कर्ज़ मार्च 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 27.5 प्रतिशत था, जबकि FRBM समीक्षा समिति का सुझाया स्तर 20 प्रतिशत है।[2] RBI (2024) की चेतावनी का हवाला देते हुए PRS ने लिखा है कि सब्सिडी और नकद हस्तांतरण पर तेज़ बढ़ता खर्च राज्यों के वित्त पर दबाव डाल सकता है और उसने ऐसे खर्च को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया था, ताकि उत्पादक खर्च के लिए जगह बचे।[2]

### योजनाओं की उलझनें: डिज़ाइन बदलते रहना

PRS ने दर्ज किया है कि अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र ने जिन महिलाओं को एक अन्य राज्य योजना से 1,000 रुपये मासिक मिल रहे थे, उनके लिए 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' का मासिक लाभ 1,500 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया। अक्टूबर 2024 में झारखंड ने 'मुख्यमंत्री मईयाँ सम्मान योजना' की मासिक राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये की। यानी योजनाएँ शुरू होने के बाद भी लाभ की राशि और पात्रता बदली गईं।[2] पूर्व-मूल्यांकन का तर्क यही है कि पात्रता, राशि और खर्च के जोखिम घोषणा के समय ही लिखित रूप में सामने रहें।

### 'सोशल DPR' का विचार क्या है

बुनियादी ढाँचे की परियोजना, जैसे पुल या सड़क, शुरू करने से पहले 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (Detailed Project Report, DPR) बनती है, जिसमें लागत, तकनीक, विकल्प और संभावित लाभ लिखे जाते हैं। 'सोशल DPR' का विचार है कि बड़ी सामाजिक योजना और नकद हस्तांतरण के लिए भी ऐसा ही दस्तावेज़ बने। ऐसे दस्तावेज़ में सामान्यतः ये बातें होनी चाहिए, यह इस लेख की सरल व्याख्या है, किसी आधिकारिक प्रारूप का हिस्सा नहीं:

- **स्पष्ट उद्देश्य:** योजना किस समस्या का हल है, पोषण, आय-सुरक्षा या महिलाओं की भागीदारी?
- **लाभार्थी और लक्ष्यीकरण:** किसे मिलेगा, पात्रता कैसे तय होगी, गलत समावेशन और बहिष्करण को कैसे जाँचा जाएगा?
- **पूरी लागत:** पहले साल और आगे के वर्षों का खर्च, राज्य के राजस्व से तुलना और अवसर लागत।
- **विकल्प:** क्या वही पैसा सेवाओं, जैसे स्कूल, स्वास्थ्य या पोषण, पर बेहतर काम करता?
- **मूल्यांकन की योजना:** किन संकेतकों पर नतीजे परखे जाएँगे और समीक्षा या समाप्ति की तिथि क्या होगी?

यह एक सुझाया गया विचार है, अनिवार्य व्यवस्था नहीं।

### सुझाव के पक्ष में तर्क

पहला, योजना की घोषणा और बजट पर असर का हिसाब साथ-साथ सामने आता है। दूसरा, लक्ष्यीकरण की गलतियाँ शुरू में पकड़ी जा सकती हैं। तीसरा, 'समीक्षा तिथि' जैसी शर्त से योजना बिना जाँच के हमेशा के लिए नहीं चलती। चौथा, नागरिकों और विधायिका को स्पष्ट दस्तावेज़ मिलता है, जिससे जवाबदेही बढ़ती है।

### चिंताएँ और सीमाएँ

पहली चिंता यह है कि अनिवार्य पूर्व-मूल्यांकन देरी का कारण बन सकता है। दूसरी, अनुमान गलत भी निकल सकते हैं, इसलिए रिपोर्ट को लकीर का फकीर न बनाकर बाद में संशोधित करने की गुंजाइश चाहिए। तीसरी, कुछ लाभ नापना मुश्किल होता है, जैसे महिलाओं की निर्णय-शक्ति या सम्मान। चौथी, मूल्यांकन करने वाली संस्था स्वतंत्र न हो तो रिपोर्ट औपचारिकता बन सकती है। इसके अलावा नकद सहायता का पक्ष भी है: इससे लाभार्थी को अपनी ज़रूरत के अनुसार खर्च करने की आज़ादी मिलती है, इसलिए बहस 'नकद बनाम सेवा' से ज़्यादा 'बिना जाँच बनाम जाँच के साथ' की है।

## आगे की राह

सुझाव के रूप में, पहला कदम यह हो सकता है कि बड़ी नई योजनाओं के साथ एक छोटा, सार्वजनिक पूर्व-मूल्यांकन नोट जारी हो, जिसमें खर्च का बहु-वर्षीय अनुमान और राजस्व घाटे पर असर लिखा हो। दूसरा, योजना का समयबद्ध स्वतंत्र मूल्यांकन और समीक्षा तिथि तय हो। तीसरा, लाभार्थी-सूची और भुगतान का डेटा, निजता की रक्षा के साथ, जाँच के लिए उपलब्ध रहे। चौथा, राज्यों के बीच अनुभव साझा हों, ताकि एक राज्य की गलती दूसरा न दोहराए।

## निष्कर्ष

नकद हस्तांतरण सामाजिक सुरक्षा का एक वैध साधन है, पर बढ़ता खर्च राज्यों के वित्त की संधारणीयता और अन्य ज़रूरी खर्चों की जगह का प्रश्न भी खड़ा करता है। 'सोशल DPR' का मूल संदेश सरल है: पैसा देने से पहले हिसाब लगाइए, और देने के बाद नतीजे परखिए। इससे कल्याण और राजकोषीय अनुशासन एक-दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक बन सकते हैं।

## मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न 1. राज्यों द्वारा नकद हस्तांतरण योजनाओं के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न राजकोषीय चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। बड़ी सामाजिक योजनाओं के लिए 'सोशल DPR' जैसे पूर्व-मूल्यांकन तंत्र के औचित्य और सीमाओं की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)**

**उत्तर की रूपरेखा:**

**भूमिका में:**
नकद हस्तांतरण का अर्थ और उसकी बढ़ती भूमिका बताइए। RBI के अनुसार सभी राज्यों की सब्सिडी 2018-19 के 1,87,432.8 करोड़ रुपये से 2025-26 (बजट अनुमान) में 4,26,115.1 करोड़ रुपये हुई, और PRS के अनुसार 12 राज्यों में महिलाओं के नकद हस्तांतरण का अनुमान 1,68,040 करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत) है। ध्यान रहे कि दोनों के दायरे अलग हैं।

**मुख्य भाग में:**
राजकोषीय चुनौतियाँ: राजस्व घाटे वाले राज्यों की संख्या (12 में से 6), अन्य विकास खर्च की जगह घटना (अवसर लागत), कर्ज़ का स्तर और संधारणीयता, लक्ष्यीकरण त्रुटियाँ, योजना की राशि और पात्रता में बार-बार बदलाव। सोशल DPR का औचित्य: उद्देश्य, लाभार्थी, पूरी लागत, विकल्प और मूल्यांकन-योजना पहले से तय हो; जवाबदेही और समीक्षा-तिथि। सीमाएँ: देरी, गलत अनुमान, कठिन-से-नापने वाले लाभ, स्वतंत्र संस्था की ज़रूरत, और यह कि यह एक सुझाया गया विचार है, अनिवार्य व्यवस्था नहीं।

**निष्कर्ष में:**
संतुलित निष्कर्ष दीजिए: कल्याण और राजकोषीय संधारणीयता दोनों ज़रूरी हैं; हल 'नकद या सेवा' की बहस में नहीं, बल्कि जाँच-आधारित, पारदर्शी और समीक्षा-योग्य योजना-डिज़ाइन में है।

---

**संदर्भ स्रोत:**
[1] भारतीय रिज़र्व बैंक, “State Finances: A Study of Budgets of 2025-26”, Statement 36: Subsidies, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/36_ST230120262E61B283CDE24F4786F619C5301E81C5.PDF
[2] PRS Legislative Research, “State of State Finances 2025-26” (अक्टूबर 2025), https://prsindia.org/files/budget/budget_state_finance_report/2025/SOSF_2025.pdf

## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

### सोशल DPR क्या है?

सोशल DPR कोई कानून, सरकारी आदेश या आधिकारिक नीति नहीं है; यह एक सुझाया गया विचार है। इसमें सुझाव है कि बड़ी सामाजिक योजना या नकद हस्तांतरण शुरू करने से पहले बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (DPR) की तरह एक लिखित रिपोर्ट बने, जिसमें उद्देश्य, लाभार्थी, लागत, विकल्प और मूल्यांकन की योजना पहले से दर्ज हो।

### राज्यों की सब्सिडी और महिलाओं के नकद हस्तांतरण के आँकड़े क्या एक ही हैं?

नहीं। RBI का सारणी-36 सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सभी सब्सिडी का कुल योग देता है, जिसमें सभी प्रकार की सब्सिडी आती हैं। PRS का 1,68,040 करोड़ रुपये का अनुमान केवल 12 राज्यों की महिलाओं के लिए लगभग बिना शर्त नकद हस्तांतरण योजनाओं का है। दोनों के दायरे अलग हैं, इसलिए इन्हें जोड़ा या सीधे नहीं मिलाया जा सकता। स्रोत

### राजस्व घाटा क्यों मायने रखता है?

राजस्व घाटा तब होता है जब राज्य का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो। तब सामान्य खर्च चलाने के लिए भी उधार लेना पड़ता है। PRS के अनुसार 2025-26 के बजट अनुमान में नकद हस्तांतरण वाले 12 में से 6 राज्यों में राजस्व घाटा अनुमानित था। स्रोत

> **यह भी पढ़ें**
>
> राज्य की क्षमता और खर्च की प्राथमिकता पर: राज्य क्षमता में भारत का ‘महा-ठहराव’: सुधार एजेंडे की अनदेखी चुनौती
>
> महिलाओं को नकद सहायता की एक राज्य योजना: हिमाचल की नई योजना: 18-59 वर्ष की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक
>
> किस्तें रुकने और e-KYC की उलझन का उदाहरण: माझी लाडकी बहिण योजना: किस्तें ठप, e-KYC उलझाव, AIDWA
>
> राज्यों के घाटे की व्यापक तस्वीर: राजकोषीय रस्साकशी: कर-संग्रह धीमा, सब्सिडी बढ़ी – घाटे का लक्ष्य टिकेगा?